न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **महेश चन्द्र चौधरी**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2122-दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 06-06-2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 1165/अपील/2011-12

शिवकांता पिता सत्यनारायण बैस
निवासी – ग्राम चतरी तह. चितरंगी जिला सिंगरौली (म.प्र.) .....आवदेक

विरूद्ध

1. बबीता गर्ग पत्नी श्री अशोक कुमार गर्ग
2. सीमा गर्ग पत्नी श्री भूपेन्द्र गर्ग
3. सुशील गर्ग पत्नी श्री पृथ्वीराज गर्ग
4. अखिलेश बैस पिता श्री हरी बैस
5. हंसलाल यादव पिता श्री वंशधारी यादव,
   निवासीगण – ग्राम चतरी, तह. चितरंगी, जिला सिंगरौली (म.प्र.)
6. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर सिंगरौली,जिला सिंगरौली (म.प्र.) .....अनावेदकगण

श्री आर.डी.शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री के.के.द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1 से 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29-06-2019 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित दिनांक 06-06-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार तहसील चितरंगी के न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवेदक द्वारा सर्वे बन्दोवस्त के दौरान हुई त्रुटि का सुधार कराये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के प्रस्ताव अनुसार अभिलेख दुरूस्त करने का आदेश दिनांक 30-06-2012 को पारित किया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक

06-06-2015 को आदेश पारित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि 2. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी महोदय का मूल आदेश था जिसके विरूद्ध संहिता की धारा 44(1) के अधीन प्रकरण अपील कलेक्टर महोदय के समक्ष होगी। मूल ओदश के विरूद्ध धारा 44(2) के अधीन प्रथम अपील ग्राहय ही नहीं थी। अपर आयुक्त महोदय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अधिकारिता रहित होने से केवल मात्र इसी आधार पर अपास्त किये जाने योग्य है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान अपर आयुक्त महोदय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को नजर अदांज कर आदेश पारित किया गया है, आवेदक के आवेदन से ही प्रथम दृष्टया ही स्पष्ट है कि, संहिता की धारा 89 के अधीन बंदोस्त त्रुटि सुधार की मूल अधिकारिता अनुविभागीय अधिकारी महोदय को ही है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त महोदय का यह निष्कर्ष कि, इस धारा के तहत त्रुटि सुधार किया गया है, उल्लेख नही किया है, यह निष्कर्ष नितांत अवैध अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान अपर आयुक्त महोदय का यह निष्कर्ष कि आदेश में धारा का उल्लेख नही किया गया है, यह निष्कर्ष नितांत अवैध एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। बंदोवस्त त्रुटि सुधार की अधिकारिता अनुविभागीय अधिकारी महोदय को है, अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा बंदोवस्त त्रुटि सुधार का आदेश पारित किया गया है, धारा का उल्लेख न होने मात्र से सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा पारित आदेश दूषित नही होता । ऐसी स्थिति में विद्वान अपर आयुक्त महोदय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में निम्नलिखित न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक क्रमांक 4 द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 से 3 के पक्ष में बंदोवस्त त्रुटि सुधार की लंबित कार्यवाही के दौरान विक्रय किया गया है, तथा इस तथ्य की जानकारी होते हुये भी अनावेदक क्रमांक 4 द्वारा कार्यवाही लंबित रहने के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रकट ही नही किया है। ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रमांक 1 से 3को पक्षकार बनाये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया किअनावेदक क्रमांक 1 से 3 द्वारा बंदोवस्त त्रुटि सुधार की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान भूमि क्रय की गयी है, जो सम्पत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 52 के हिट है।

4/ अनावेदक विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से यह पता नहीं चलता कि उन्होनें म.प्र.भू-राजस्व संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत् आदेश पारित किया है । तहसीलदार द्वारा किस बावत प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष भेजा गया इस बात का उल्लेख भी आदेश में नहीं है । जो प्रविवेदन तहसीलदार ने दिया था उसमें क्या उल्लेख था और उस प्रतिवेदन में क्या परीक्षण किया गया यह स्पष्ट न होने से कथित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि सर्वे बन्दोवस्त में क्या त्रुटि हुई और इस त्रुटि को 50 वर्षों बाद सुधार कराने की क्या आवश्यकता हुई इस बात का भी उल्लेख आदेश में नहीं किया, नवीन बन्दोवस्त में आवेदक के किस खसरा नम्बर के पुराने रकबे में कमी कर दी गई है तथा अनावेदक के किस पुराने रकवे में वृद्धि कर दी गई है, यह स्पष्ट नहीं है । मौके पर किसका कब्जा है और उस कब्जे के अनुसार क्या निर्धारण नहीं हुआ इसका कोई उल्लेख आदेश में नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया

गया कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण का पूर्ण परिशीलन उपरांत गुण-दोषों पर आदेश पारित किया गया है जो कि विधिसंगत एवं न्यायोचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित किये गये आलोच्य आदेश दिनांक 06-06-2015 में स्पष्ट उल्लेखित है कि त्रुटि सुधार के समय मौके पर कहां किसका कब्जा है इसका उल्लेख नहीं है एवं हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार न बनाते हुए पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है । प्रकरण में अनावेदक हितबद्ध व्यक्ति था । त्रुटि सुधार के समय उन्हें हितबद्ध पक्षकार बनाकर सूचना दिया जाना आवश्यक था । इसीलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश प्रभावहीन हो जाता है । अत: अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को सभी हितबद्ध पक्षकार बनाकर एवं उन्हें पक्ष समर्थन का अवसर देकर पुन: आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है । मेरे मतानुसार अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । उभय पक्ष को पुन: सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध रहेगा ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-06-2015 स्थिर रखा जाता है । इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है ।

(महेश चन्द्र चौधरी)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर